प्रेस विज्ञप्ति
15/02/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 13.02.2025 को **मेसर्स वन वर्ल्ड क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओसीपीएल) और अन्य** के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई में 8 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान आरोपी व्यक्तियों के नाम पर डमी कंपनियों, साझेदारी फर्मों, वैयक्तिक स्वामीत्व व्यवसाय (सोल प्रोपराइटी कंसर्न) और डमी/काल्पनिक संस्थाओं के नाम पर अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित अचल संपत्तियों की खरीद से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए।

ईडी ने यूको बैंक द्वारा बैंकों के संघ से 93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत के आधार पर मेसर्स वन वर्ल्ड क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड, उर्विल जानी और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। मेसर्स ओसीपीएल और उसके निदेशकों ने सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से फर्जी संस्थाओं में टर्नओवर बढ़ाकर बैंकों को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, जिसके परिणामस्वरूप ऋण राशि को अन्यत्र स्थानांतरित करके गलत तरीके से लाभ कमाया गया।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स ओसीपीएल के प्रमोटरों ने फंड की लेयरिंग के उद्देश्य से शेल संस्थाओं के बीच बड़े पैमाने पर सर्कुलर लेनदेन का सहारा लिया, जिसका उपयोग अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।